



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.4()परावि/आ.प्र./BRGF/वित्तीय आवंटन/2014-15/ 1001 जयपुर, दिनांक: 12-09-14

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 23/2014-15

भारत सरकार द्वारा बी.आर.जी.एफ. विकास कोष वार्षिक योजना 2014-15 की प्रथम किश्त स्वरूप राशि रूपये 18566.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां निम्नानुसार जारी की गई है:-

(राशि लाख रूपये में)

S.No.	Name of District	SC	ST	NON SC ST	Total
1	Banswara	59	963	327	1349
2	Barmer	577	222	2873	3672
3	Chittorgarh	240	175	1105	1520
4	Dungarpur	43	677	320	1040
5	Jaisalmer	533	200	2922	3655
6	Jalore	268	130	1086	1484
7	Karoli	307	297	723	1327
8	Sawai Madhopur	167	181	489	837
9	Sirohi	194	251	569	1014
10	Udaipur	162	1229	1277	2668
	Total	2550	4325	11691	18566

उक्त स्वीकृति के तहत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के लिये पृथक-पृथक स्वीकृतियां जारी की गई है। उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्वीकृतियों की राशि रूपये 18566.00 लाख (अक्षरे रूपये अठारह हजार पांच सौ छियासठ लाख रूपये) निम्न विवरण अनुसार जिलों की जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों/नगरनिकायों के बैंक खाते में बैंकिंग चैनल (ऑफ लाईन) के माध्यम से हस्तान्तरण करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

राशि का विकलेय मद निम्नानुसार है:-

मांग संख्या-30	मांग संख्या-41	मांग संख्या-51
2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) -पिछड़ा जिला विकास कोष	(19) -पिछड़ा जिला विकास कोष	(20) -पिछड़ा जिला विकास कोष
[02] -कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां	[02] -कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां	[02] -कार्यकलाप सम्बन्धी गतिविधियां

12 - सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य (आयोजना) राशि रूपये 4325.00 लाख (अक्षरे रूपये चार हजार तीन सो पच्चीस लाख मात्र)	12 - सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य (आयोजना) राशि रूपये 11691.00 लाख (अक्षरे रूपये ग्यारह हजार छ सो इकरानवे लाख मात्र)	12 - सहायतार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय्य (आयोजना) राशि रूपये 2550.00 लाख (अक्षरे रूपये दो हजार पांच सो पचास लाख मात्र)
--	---	--

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिये आवंटित राशि का उपयोग इन वर्गों के हितार्थ वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित कार्यों पर किया जावेगा। इस क्रम में जिला परिषद द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ सामान्य वर्ग के लिये component wise उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए पृथक-पृथक कार्यों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जावेंगी, जिसमें उप योजना मद का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। उपलब्ध करवाई जा रही राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट भी उपयोजना मदवार तैयार किये जावेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या-331400568 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। जिला परिषदें, योजना के दिशा-निर्देशों, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए उपरोक्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करेंगी।

संलग्न: कार्यकारी संस्थावार राशि हस्तान्तरण का विवरण

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, आय-व्ययक, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
12. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट/चैक तैयार करवाने के लिये बैंकवार एफ.वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित करने की तत्काल व्यवस्था करावें।

कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये वित्तीय प्रावधानों की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि लाख रुपये में)

बजट मद	वित्तीय प्रावधान	उपयोग की गई राशि	वर्तमान स्वीकृति की राशि	कुल व्यय (3+4)	अवशेष राशि (2-5)
1	2	3	4	5	6
30-2515-196-06-02-ST	8233.14	360.00	4325.00	4685.00	3548.14
41-2515-196-19-02-NON SC ST	20613.39	0.00	11691.00	11691.00	8922.39
51-2515-196-20-02-SC	4736.47	0.00	2550.00	2550.00	2186.47
योग	33583.00	360.00	18566.00	18926.00	14657.00

13. चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों/नगरनिकायों के खातों में निकायों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने (अन्तरित नहीं होने की स्थिति में डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाने की) की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करें। संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित निकाय का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावे। गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी स्थानीय निकाय के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित निकायों के खातों में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब ऐसे निकायों के नाम मय पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा बैंक खाता संख्या मय ब्रान्च संयुक्त शासन सचिव (जिला आयोजना) पंचायती राज को पत्र/विशेषवाहक के माध्यम से प्रेषित करने का भी श्रम करावें। उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा।
14. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् - बांसवाडा, बाडमेर, चित्तोडगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली, सवाई माधोपुर, सिरौही एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वार्षिक योजना 2014-15 में विगत वार्षिक योजनाओं के अपूर्ण रहे कार्यों को भी सम्मिलित किया हुआ है अतः इस स्वीकृति के तहत उपलब्ध करवाई गई राशि का उपयोग प्राथमिकता से विगत वार्षिक योजनाओं के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने पर किया जावे। इसके साथ ही अवशेष राशि के उपयोग हेतु यथासंभव अवशेष राशि के समतुल्य लागत राशि के कार्यों की ही स्वीकृति जारी की जावे ताकि उपलब्ध करवाई गई राशि के शत-प्रतिशत उपयोग के साथ ही स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो सकें। स्वीकृति अनुसार राशि के जिला परिषद् एवं सम्बन्धित पंचायत समिति/ग्राम पंचायत/नगरनिकाय के बैंक खातों में जमा होने की पुष्टि भी आवश्यक रूप से भिजवायें। इस स्वीकृति की प्रति भी जिले की सभी पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों एवं नगरनिकायों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
15. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को उक्त स्वीकृति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
16. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)